

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12099 / 2330

दिनांक :- 22-12-2021

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती/सुश्री कृष्ण कांत चुण्डावत [लिंक न. 12099] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रभारी भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, जयपुर - [7000064] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 21/05/2018 से 25/10/2018 तक 158 दिवस

दिनांक 17/12/2018 से 15/01/2019 तक 30 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

दिनांक 16/01/2019 से 01/02/2019 तक 17 दिवस

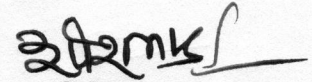
दिनांक 18/02/2019 से 03/03/2019 तक 14 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

दिनांक 04/03/2019 से 14/03/2019 तक 11 दिवस

कुल 230 दिवस

उक्त कुल 230 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती/सुश्री कृष्ण कांत चुण्डावत की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

उक्त स्वीकृति वित्त (राजस्व) विभाग, राज0, जयपुर की डायरी सं. 5776 दिनांक 25.11.2021 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी की गई है।


निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12099 / 2330

दिनांक :- 22-12-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रभारी भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री/श्रीमती/सुश्री कृष्ण कांत चुण्डावत [12099] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रभारी भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)